तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
6-2-20	वकील उभयपक्ष उपस्थित वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई वकील प्रार्थी द्वारा बहस हेतु समय चाहा अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 18-2-20 को पेश हो।
18-2-20	वकील उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी अवकाश पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25-2-20 को पेश हो।
25.02.2020	उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित बहस सुनी गई पत्रावली आदेश दिनांक 19.03.2020 को पेश हो।
19.03.2020	उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित गत पेशी पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि चक 5 एम.ओ.डी. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 71/270 (32) किला नम्बर 21 पत्थर नम्बर 71/271 (42) के किला नम्बर 1, 9, ता 13, 17 ता 20 कुल 3.036 हैक्टर प्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा पत्थर नम्बर 70/271 (43) के किला नम्बर 5/1, 6 ता 8,14, 15, 17 की कुल 1.602 हैक्टर भूमि प्रार्थी संख्या 3 के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि में आवागमन हेतु रास्ता नहीं होनें के कारण चक 5 एम.ओ.डी. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 71/270 (31) किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 व पत्थर नम्बर 70/271 (43) किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में दो दो बिस्वा रास्ता जो मौका पर चल रहा है, को मन्जुर किया जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 5, 7 व 8 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि प्रार्थीगण की वर्णित कृषि भूमि के दक्षिणी और चिपते हुए चक 6 एम. ओ.डी. पटवार मण्डल के चक 1 एल.जी.डब्ल्यू. में अन्य कृषि भूमि पड़ती है, प्रार्थीगण चक 6 एम.ओ.डी. में पत्थर लाईन 73 पर चालू सड़क से होते हुए पत्थर लाईन 274 के उत्तरी ओर अर्थात पत्थर नम्बर 73/273, 72/273, 71/273, 70/273, व इसी केदर पूर्वी और आगे प्रत्येक मुरब्बा के किला नम्बर

सहायक ... अधिकारी एवं उप...

.... लगातार

Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.04.09 12:37:25 IST
Reason: SelfAttested